न्यायालय, माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर खण्डपीठ रीवा (म0प्र0)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

466
13-8-14

R. 2895-II/14

1. हेमराज सिंह तनय श्री रामविश्वास सिंह,
2. राजेन्द्र सिंह तनय श्री रामविश्वास सिंह,
3. हीरालाल सिंह तनय श्री जानकी सिंह,
4. पुष्पराज सिंह तनय श्री रामसजीवन सिंह,
5. विकलेश सिंह तनय श्री रामसजीवन सिंह,

सभी निवासी ग्राम–टिकुरी, तहसील–कोटर, जिला–सतना (म0प्र0)

——निगरानीकर्तागण

बनाम्

1. नागेन्द्र सिंह तनय श्री देवशरण सिंह, निवासी ग्राम–टिकुरी, तहसील–कोटर, जिला–सतना (म0प्र0)
2. शासन म0प्र0

————गैरनिगानीकर्तागण

श्री.. हीरालाल सिंह .. एड. द्वारा आज 13-8-14 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश अधीक्षक भू–अभिलेख प्रबंधन सतना (म0प्र0) प्रकरण क्र0– 4/अ–12/13–14 आदेश दिनांक 17.07.2014.

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता.

क्रमांक 2761
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 25-8-14 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्नलिखित हैं :–

यह कि आराजी नं0 16/1क रकवा 0.17 एकड़/0.069 हेक्टेयर के भूमिस्वामी निगरानीकर्ता क्र.–1 हेमराज सिंह, आराजी नं. 16/1ख रकवा 0.17 एकड़ यानी 0.069 हे0 के भूमिस्वामी निगरानीकर्ता क्र.–2 राजेन्द्र सिंह, आराजी नं. 16/1ग रकवा 0.17 ए0 यानी 0.069 हे0 के भूमिस्वामी निगरानीकर्ता क्र.–3 हीरालाल सिंह, आराजी नं. 16/1घ/1/1 रकवा 0.08½ एकड़ यानी 0.034 हे0 के भूमिस्वामी गैरनिगरानीकर्ता क्र.–1 नागेन्द्र

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 2895-II/14 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.10.15	मेरे द्वारा प्रकरण में निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक के माध्यम पर तर्क श्रवण किये गए एवं नस्ती के अभिलेखों का परिशीलन किया एवं प्रकरण के बिन्दुओं पर गम्भीरता से विचार किया गया। इसके आधार पर मैं इस प्रकरण में यह पाता हूँ कि सीमांकन के आवेदक नागेन्द्र सिंह की भूमि ख.नं. 16/घ/1/1 एवं 16/घ/2 के सीमांकन के पूर्व इन दो खसरे नम्बरों के साथ कतिपय अन्य खसरे नम्बरों (16/1क, 16/1ख, 16/1ग, 16/1ङ, 16/1च, 16/1घ/1/2, 16/2) की भूमियों के नक्शों की तरमीम भी की गई है, किन्तु नागेन्द्र सिंह की भूमियों के अलावा इन अन्य भूमियों (खसरा नम्बरों) के भूमिस्वामियों को (हेमराज को छोड़कर) सीमांकन की प्रस्तावित कार्यवाही की सूचना पत्र दि. 9.5.14 (Ex II) द्वारा सूचना नहीं दी गई है। राजस्व निरीक्षक (भू-प्रबंधन) सतना द्वारा दि. 10.5.14 को अधीक्षक भू-अभिलेख सतना के प्रदत्त प्रतिवेदन, में स्पष्ट लिखा (Ex-I)	

[कृ. प. उ.

R. 2895/11/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	है कि उन्होंने 10.5.14 को मौके पर आराजी नम्बर 16 के बटे नम्बर नक्शे में कायम करके लाल स्याही करने हेतु यह प्रतिवेदन भेजा है; साथ ही नागेन्द्र सिंह की भूमि का सीमांकन किया यह भी लिखा है।	
	अतः नागेन्द्र की भूमियों के अतिरिक्त अन्य भूमिस्वामियों (रा. मं. के समक्ष निगराकारगण) की भूमियों की नक्शे पर तरमीम बगैर उनको सूचना दिये एवं पक्ष समर्थन का अवसर दिये किये जाने के कारण मैं अधीक्षक भू-अभिलेख सतना का आक्षेपित आदेश दि. 17.7.14 तब तक के लिए स्थगित करता हूँ जब तक वे शेष ऐसे भूमिस्वामी जिनकी भूमियों की तरमीम नक्शे पर, नागेन्द्र की भूमि की सीमांकन प्रक्रिया के पूर्व, बगैर उन्हें सूचना या पक्ष समर्थन का अवसर दिये कर दी गई है, को उनकी भूमियों की तरमीम के पूर्व, समस्त अन्य सरहदी कृषकों एवं हितबद्ध पक्षकारों के साथ, सूचना एवं पक्ष समर्थन का विधिवत अवसर देकर तरमीम संबंधी विधि की जाती। साथ ही, उन्हें यह समस्त कार्यवाही, इस आदेश की उन्हें संसूचना के अधिकतम तीन माह में पूर्ण करने के आदेश भी देता हूँ। इस तरमीम की इस प्रकार होने वाली कार्यवाही के फलस्वरूप, यदि नागेन्द्र की भूमियों की तरमीम में कोई अन्तर आता है, तो उसकी भूमियों के सीमांकन की पुष्टि का आदेश दि 17.7.14, विवादांकित तरमीम की पुष्टि आदेश की दिनांक से, निरस्त माना जाएगा। ~~समयसीमा में विधिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन हो।~~ पक्षकार सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा. द. हो।	कार्यवाही विधिवत पूर्ण है

23.10.15
सदस्य